न्यायालय विशेष न्यायाधीश(अनु0जा0/अनु0जन0(अ0नि0) अधिनियम), पीलीभीत।
पीठासीनः श्री राकेश वशिष्ठ, एच.जे.एस.
विशेष वाद संख्या 56/2019
सी.एन.आर. नं. यूपीपीबी0 100–5231–2019
रामचन्द्र बनाम किरन प्रसाद आदि

28.2.2022

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर पूर्व में सुना जा चुका है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया है कि परिवादी के गांव में मंदिर के पास चौराहे की जगह पर विपक्षी किरन प्रसाद अपना ट्रैक्टर ट्राली व हैरो खड़ा करता है जिस कारण मोड़ पर परिवादी को अपना डनलप आदि निकालने में परेशानी होती है। इस पर परिवादी ने विपक्षी से कहा कि वह अपने ट्रैक्टर ट्राली व हैरो चौराहे पर खड़ा न किया करे जिस पर विपक्षी ने कहा कि वह यहीं पर खड़ा करेगा अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इसी रंजिश से दिनांक 7.7.19 को समय 4 बजे शाम उपरोक्त विपक्षीगण अपने अपने हाथों में डंडे लेकर आवेदक के घर के अन्दर घुस आये और उसे जातिसूचक शब्द धुबेटा कहते हुये गालियां दीं कि आज इस धुबेटा को जान से मार देंगें। तभी उपरोक्त लोगों ने परिवादी को डंडों से मारपीट किया। जिससे उसके शरीर पर गुम चोटें आयीं। परिवादी चीखा चिल्लाया तो गवाहान नानक चंद्र व धर्मेन्द्र व वृन्दावन ने परिवादी को बचाया और सारी घटना देखी। विपक्षीगण परिवादी की जेब में रखे 1700/–रु0 लूटकर ले गये।

परिवादी ने स्वयं का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं साक्षीगण पी0डब्लू0 1 नानकचन्द व पी0डब्लू0 2 धर्मेन्द्र कुमार का बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कराया है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि परिवादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जबकि विपक्षीगण अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। विपक्षीगण ने एक राय होकर वादी मुकदमा को लाठी डंडों से मारपीट किया, गंदी–गंदी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी तथा परिवादी को उसकी जाति से सम्बोधित करते हुये अपमानित किया। विपक्षीगण ने संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया है जिस कारण विपक्षीगण को जरिये सम्मन सुसंगत धाराओं में तलब कर लिया जावे।

परिवादी रामचन्द्र ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि वह जाति का धोबी है। विपक्षीगण लोधी जाति के हैं। विपक्षीगण व वह एक ही गांव के रहने वाले हैं। उसके व विपक्षीगण के मकान के बीच पक्की सड़क है। जिससे लोग आते जाते हैं व गाड़ी आदि चलती है। दिनांक 7.7.19 को शाम के 4 बजे वह अपने घर पर था। किरन प्रसाद उम्र 35 वर्ष, रामबेटी, गायत्री देवी उम्र 32 वर्ष, त्रिवेनी उम्र 22 वर्ष लाठी, डंडा लेकर उसके घर में आ गये, मारा पीटा और 1700/–रु0 जेब से निकाल लिये। मारपीट में वह गिर गया और उसके सिर व शरीर में काफी चोटें आयी। उसका डनलप मुलजिमान के डनलप के हैरो जो सड़क पर खड़ा था निकालने में लग गया था। जिसकी मुलजिमानों ने उससे शिकायत की थी। उसने कहा कि उसके हैरो में टक्कर क्यों मारते हो। इसी बात को लेकर मुलजिमान ने कहा कि धोबी साले मेरे हैरो के टक्कर क्यों मारते हो। उसे गालियां भी दिया। शोर पर बिन्द्रावन व नानकचन्द्र आ गये बीच बचाव किया। मुलजिमान भाग गये।

पी0डब्लू0 1 नानकचन्द्र ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि घटना दिनांक 7.7.19 को समय दिन के चार बजे की है। मुलजिम किरन प्रसाद अपना ट्राली व हैरो मन्दिर के पास चौराहे पर रास्ते में खड़ा कर दे हैं। जिसमें रामचंद्र व गांव के लोगों को डनलप व ट्रैक्टर ट्राली निकालते समय परेशानी होती है। किरन प्रसाद से कई बार कहा कि अपनी ट्राली व हैरो रास्ते में खड़ा मत किया करो तो किरन प्रसाद ने कहा कि वह ऐसे ही खड़ा करेगा तुम मुझे नहीं रोक सकते। रामचंद्र का डनलप ट्राली में लग जाने के कारण टूट गया। जिसकी शिकायत वादी ने किरन प्रसाद से की। इसी रंजिश के कारण दिनांक 7.7.19 को समय चार बजे शाम किरन प्रसाद, रामबेटी, त्रिवेणी देवी व गायत्री देवी हाथों में डंडे लेकर वादी के घर के अन्दर घुस आये और जातिसूचक शब्द धुबेटा कहकर गाली देते हुये मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। धोर पर वह व धर्मेन्द्र व व्रन्दावन आदि गांव के बहुत से लोग आ गये और बचाया। तब उपरोक्त मुलजमान भाग गये।

पी0डब्लू0 2 धर्मेन्द्र कुमार ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि उसके गांव के किरन प्रसाद अपना ट्रैक्टर ट्राली मन्दिर के पास रास्ते में खड़ा कर देते हैं। जिस कारण उसे अपना डनलप निकालने में परेशानी होती है। उसके पिता रामचन्द्र ने किरन प्रसाद से कई बार ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करने को मना किया लेकिन वह नहीं माना और बोला वह वहीं खड़ा करेगा तुम्हें जो करना हो कर लो। डनलप निकालते समय ट्रैक्टर ट्राली में लग जाने से उसका डनलप टूट गया और बैलों को चोट आयी। जिसकी शिकायत उसके पिता ने किरन प्रसाद से की। इसी रंजिश के कारण दिनांक 7.7.19 को शाम 4 बजे किरन प्रसाद व उसकी माता रामबेटी व बहन त्रिवेणी व पत्नी गायत्री देवी हाथों में लाठी डंडे लेकर उसके घर में घुस आये और उसके पिता को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये धुबेटा कहकर गंदी–गंदी गाली दी। गाली देने से मना करने पर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। उसने बचाया तो उसे भी मारा पीटा और गालियां दीं और उसके पिता की जेब से 1700/–रु0 निकाल लिये। शोर पर गांव के काफी लाग आ गये। जिन्होंने घटना देखी व बचाया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री से स्पष्ट होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है, जबकि विपक्षीगण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं है। विपक्षीगण ने परिवादी को उसके घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट किया, गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी व जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करते हुये गालियां देकर अपमानित किया। परिवादी ने अपने बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 व साक्षीगण पी0डब्लू0 1 नानकचन्द्र व पी0डब्लू0 2 धर्मेन्द्र कुमार ने अपने बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 में घटना का पूर्ण समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री से विपक्षीगण किरन प्रसाद, रामबेटी, त्रिवेणी देवी व गायत्री देवी द्वारा प्रथम दृष्ट्या धारा 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द) एवं 3(2)(5ए) अनु0 जा0 अनु0 जन0(अ0नि0) अधिनियम का अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण किरन प्रसाद, रामबेटी, त्रिवेणी देवी व गायत्री देवी को उपरोक्त धाराओं में जरिये सम्मन तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण किरन प्रसाद, रामबेटी, त्रिवेणी देवी व गायत्री देवी को धारा 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(द) एवं 3(2)(5ए) अनु0 जा0 अनु0 जन0(अ0नि0) अधिनियम में जरिये सम्मन दिनांक 22.03.2022 के लिए आहूत किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर 7 दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुलजिमान दिनांक 22.03.2022 को पेश हो।

दिनांकः 28.2.2022
अशोक कुमार

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
पीलीभीत।

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2022.02.28 14:19:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court